

## डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली

बईजलास : मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

### उनवान

1. श्री चन्दनसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी जावड तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी जावड तहसील मावली जिला उदयपुर राज0। मृतक के बजाय
- 2/1 श्री महेन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
- 2/2 कैलाशकुंवर पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी तहसील घासा जिला उदयपुर राज0।
- 2/3 फुलकुंवर पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी तहसील घासा जिला उदयपुर राज0।
- 2/4 कमलाकुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी तहसील घासा जिला उदयपुर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये, जिलाधीश महोदय, उदयपुर (राजस्थान)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 200 / 13 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2013 / 00317

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2555/373 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि को आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शे अनुसार आवंटन आदेश के आधार पर वादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। आवंटन आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि के नवीन आराजी नम्बर 2657/2555/373 बने है जिसका नक्शा ट्रेस आवंटन पत्रावली में संलग्न है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **08.08.2024** को जारी की गई।



( मनसुख राम डामोर ) R.A.S.  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
मावली जिला उदयपुर